

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 18 / 2017

दायर दिनांक 18.06.2017

भगवानीबाई	उनवान	प्रेमीबाई
	बनाम	

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 27.06.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली में वकील वादी व वादीया ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया जावे। मिसल तलबी का प्रार्थना स्वीकार कर पत्रावली सिगह से तलब की गई। वादीया भगवानीबाई हाजिर, इनकी पहचान अधिवक्ता श्री आशिफ ईकबाल ने अधिकार पत्र पेश कर की। अधिवक्ता श्री आशिफ ईकबाल ने विद्गों राजीनाम अनुसार ईबाज पढकर सुनाई, जो वादीया द्वारा स्वीकार की है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनाम होने से वादीया प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। वादीया का प्रार्थना पत्र विद्गो किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

